**संख्या- 200 / 2022 /2244 / चार-2022**

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 16 नवम्बर, 2022

विषय:- पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-924/प्रथम-01 (41)/22, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय-58-आउटसोर्सिगं सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- पुरातत्व निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग होने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 01- वेतन मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय-58- आउटसोर्सिगं सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 200 /2022 / 2244 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आहरण एवं वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

# बी एम-9 (भाग - 1)

## पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A004-20222023-001-Minus 2244-Char-2022-Archaeology Outsourcing

विषय:- विषय:- 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

*निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण*

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय ) | 01 (वेतन) | 4,63,50,000 रुपये चार करोड़ त्रेसठ लाख पचास हजार मात्र | - - | 50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र | 50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र | 4,13,50,000 रुपये चार करोड़ तेरह लाख पचास हजार मात्र | 2022-2023 |
| **कुल** | | | | | ₹ 50,00,000 | ₹ 50,00,000 | | |

*निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण*

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय ) | 58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान ) | 5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र | 50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र | 50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र | 55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र | 2022-2023 |
| **कुल** | | | | ₹ 50,00,000 | ₹ 50,00,000 | | |

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

2- पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- पुरातत्व निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 01- वेतन मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संख्या :RE-budget-1-121-E-7-153-X-2022-23- दिनांक:15-11-2022

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

संख्या- 200 /2022 / 2244 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आहरण एवं वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्याय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्येयक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग- 4, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in